

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./53/2024

1. कन्हैयालाल पुत्र रामस्वरूप जाति साधू निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
  2. उमेश पुत्र रामस्वरूप जाति साधू निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
  3. पारसी पुत्री रामस्वरूप जाति साधू निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
  4. भंवरी पुत्री रामस्वरूप जाति साधू निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
- प्रार्थीगण

बनाम

1. उगमा पुत्र हरदेव जाति बैरवा निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. गोपाल पुत्र लादू जाति ब्राह्मण निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. कंचन पत्नी कैलाश जाति ब्राह्मण निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-22.05.2024

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री राहुल आचार्य  
2. पैरोकार सरकार



संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा कुरथल पटवार क्षेत्र कुरथल भू0अ0नि0 क्षेत्र नांदसी के खाता सं0 663 में दर्ज खसरा नं. 2827 रकबा 0.79 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.79 हैक्ट जो कि प्रार्थीगणों के खातेदारी कब्जे काशत की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 03 प्रार्थी की कब्जे काशत भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 04 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया।अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपरिथत नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम कुरथल के खाता संख्या 663 संवत 2072-2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

५  
उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (केकड़ी)

पत्रावली में उपलब्ध दरतावेजों के अवलोकन तथा वहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा कुरथल पटवार क्षेत्र कुरथल भू0अ0नि0 क्षेत्र नांदसी के खाता सं0 663 में दर्ज खसरा नं. 2827 रकबा 0.79 कुल किता 01 कुल रकबा 0.79 हैक्ट हेतु नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 1000/- रु(एक हजार रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(गुरु प्रसाद तंवर)  
उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय, केकड़ी  
उपखण्ड आधिकारी  
भिनाय (केकड़ी)